ग्राम पंचायत समसौह, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017

भाग–एक

1 प्रस्तावनाः–

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत समसौह, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी के अवधि 1.04.2014 से 31.03.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत्त थेः–

प्रधानः–

क्र0सं0	**नाम**	**अवधि**
1	श्रीमती आशा कुमारी	1.4.14 से 22.1.2016
2	श्री प्रदीप कुमार	23.1.16 से अद्यतन

सचिवः–

क्र0सं0	**नाम**	**अवधि**
1	श्री कर्म सिंह	1.4.14 से 18.10.16
2	श्री काली दास	19.10.16 से 5.3.17
	श्री महाजन राम	6.3.17 से अद्यतन

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत समसौह के लेखाओं अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.2	रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के दिनांक 31.3.17 के अन्तशेष में भारी अन्तर	1.60
2	4.3	रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना	–
3	5	पंचायत राजस्व की वसूली न करना	–
4	7	अनुदानों का उपयोग न करना	9.82
5	8	औपचारिकताओं के पूर्ण किए बिना स्टॉक का क्रय	1.12
6	9	क्रय सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	1.95

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत समसौह, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विनय कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सन्तोष कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 12.9.17 से 15.9.17 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः निम्न मासों का चयन किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014–15	03/2015	06/2014
2015–16	03/2016	01/2016
2016–17	03/2017	02/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण ग्राम पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में, अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होंने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत समसौह, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं के अंकेक्षण का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अनुभाग अधिकारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 02 दिनांक 15.9.17 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत समसौह से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत समसौह द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

(1) स्व स्त्रोतः– ग्राम पंचायत समसौह द्वारा प्रस्तुत अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक की स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरणः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2014–15	6905	14972	21877	13329	8548
2015–16	8548	20741	29289	7177	22122
2016–17	22112	32526	54638	23310	31328

(2) अनुदानः– ग्राम पंचायत समसौह के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया हैः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2014–15	353665	2218928	2572593	1963430	609163
2015–16	609163	1747596	2356759	1551414	805345
2016–17	805345	3332385.71	4137730.71	3155247.50	982483.21

4.1 बैंक समाधान विवरणीः–

स्वः स्त्रोतः–

दिनांक 31.3.17 को रोकड बही का अन्तशेष 31328

अनुदानः–

दिनांक 31.3.2017 को रोकड़ बहियों का अन्तशेष	982483.21
योग	**₹1013811.21**
दिनांक 31.3.2017 को बैंक खातों में शेष	854177.71
(संलग्न परिशिष्ट–II)	
हस्तगत राशि	005.50
योग	₹854183.21
अन्तर	**₹159628**

4.2 बैंक खातों व रोकड़ बही के दिनांक 31.3.17 के अन्तशेष में ₹1.60 लाख का भारी अन्तरः–

जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा स्वः स्त्रोत आय तथा अन्य प्राप्त अनुदानों को खाता संख्या 34310100264–HPSCB तथा खाता संख्या 34310100398 HPSCB और खाता संख्या 34310100386–HPSCB में जमा करवाया गया था। परन्तु नियमों के अनुसार समय पर रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान न करने के कारण दिनांक 31.3.17 को बैंक खातों में ₹159628 कम जमा राशि पाई गई जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा 4.1 में दिया गया है तथा जिसका मिलान करने के लिए सचिव ग्राम पंचायत को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 01, दिनांक 13.9.17 द्वारा अनुरोध किया गया था। परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक रोकड़ बहियों के शेष का बैंक शेष से मिलान नहीं किया गया। अतः बैंक खातों का रोकड़ बही से मिलान किया जाये अन्यथा इस कम जमा राशि को उचित स्त्रोत से प्राप्त करके पंचायत निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

4.3 रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान न करनाः–

ग्राम पंचायत समसौह की रोकड़ बहियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्तें) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस

अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान करना सुनिश्चित किया जाये।

5 पंचायत राजस्व की वसूली न करनाः–

(i) गृहकर की वसूली न करनाः–

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान कभी भी गृहकर की वसूली का प्रयास नहीं किया गया। अतः गृहकर की वसूली न करने तथा इससे सम्बन्धित अभिलेख न रखने के लिए सम्बन्धित कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करके अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित गृहकर वसूली की जाये तथा भविष्य में गृहकर रजिस्टर का अनुरक्षण करते हुए गृह कर की समय पर वसूली करना सुनिश्चित की जाये।

(ii) भू–राजस्व की वसूली न करनाः–

ग्राम पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेखों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में भू–राजस्व की वसूली नहीं की गई थी और न ही इस बारे उचित प्रयास किये गये थे। अतः नियमानुसार भू–राजस्व की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए, इसकी वसूली प्रतिवर्ष करना सुनिश्चित किया जाये।

6 नियमानुसार पंचायत निधि के लेखों/खातों का रख–रखाव न करनाः–

पंचायत के लेखों की जाँच करने पर पाया गया कि लेखों का अनुरक्षण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, संकर्म, लेखें, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (2) के अनुसार खाता क तथा खाता ख के रूप में नहीं रखा गया था। नियमों के अनुसार लेखों का रख–रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट करें तथा भविष्य में नियमों के अनुसार लेखें खाते खोल कर नियम 3 व नियम 4 में वर्णित शीर्षों के अनुसार पंचायत में प्राप्त आय को खाता–क व खाता–ख में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

7 अनुदान ₹9.82 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–I)** के अनुसार दिनांक 31.3.17 तक अनुदान ₹982483 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्रों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–2

सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से समय बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित विभाग/संस्था को किया जाये।

8 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹1.12 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) और 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताऐं (निविदाएँ इत्यादि आमन्त्रित करना) प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–IV** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹111795 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किये ही किया गया है, जोकि नियमों के विपरीत होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न होने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

9 ₹1.95 लाख की क्रय सामग्री की प्रविष्टियाँ भण्डार रजिस्टर में न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69, 70 तथा 71 में क्रय की गई सामग्री के भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टि करने जारी करने तथा भण्डारण सम्बन्धी औपचारिकताएँ प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–V** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹195200 की क्रय की गई सामग्री की प्रविष्टि भण्डार रजिस्टर में नहीं की गई थी, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर की प्रविष्टियाँ नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए समस्त क्रय की गई सामग्री की प्रविष्टि नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें।

10 माप पुस्तिकाओं का सत्यापन न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, संकर्म, भत्ते, कराधान) नियम 2002 के नियम 104 (2) (ii) तथा 105 क अनुसार पंचायत द्वारा करवाये गए सभी विकासात्मक कार्यों की माप पुस्तिकाओं में की गई प्रविष्टियों का कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा सत्यापन करना

अनिवार्य है, परन्तु ग्राम पंचायत के तकनीकी सहायक द्वारा अनुरक्षित माप पुस्तिकाओं में की गई प्रविष्टियों का सत्यापन, कनिष्ठ अभियन्ता से नहीं करवाया जा रहा है। अतः ग्राम पचांयत द्वारा करवाये गए सभी विकासात्मक कार्यों की माप पुस्तिकाओं में की गई प्रविष्टियों का नियमानुसार सत्यापन करना सुनिश्चित किया जाये।

11 मनरेगा कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण न करवानाः–

ग्राम पंचायत के मनरेगा से सम्बन्धित व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि इस शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान द्वारा अधिकतर कार्य निजि भूमि का विकास के रूप में ही करवाये गये है तथा ऐसे कार्यों का ग्रामीण विकास मन्त्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या–11060/3/2009–नरेगा, दिनांक 1.9.2009 के अनुसार पंचायत द्वारा गठित सामाजिक अंकेक्षण समिति से सामाजिक अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है, परन्तु ऐसे कायों का सामाजिक अंकेक्षण नहीं करवाया गया है। अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत द्वारा निजि भूमि पर नरेगा के अन्तर्गत करवाये गए/करवाये जाने वाले सभी विकासात्मक कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण करवाना सुनिश्चित किया जाये।

12 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, संकर्म, भत्ते, कराधान) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार निम्न रजिस्टरों व अभिलेखों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(i) खाता बहियाँ
(ii) अनुदान रजिस्टर
(iii) यात्रा भत्ता दावा बिल चैक रजिस्टर
(iv) गृहकर रजिस्टर
(v) रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर
(vi) अस्थाई अग्रिम रजिस्टर
(vii) परिवार रजिस्टर का उचित रख रखाव

13 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, संकर्म, भत्ते, कराधान) नियम 2002 के नियम 73 के अनुसार पंचायत के भण्डार रजिस्टरों का प्रत्येक 6 माह बाद पंचायत प्रधान

द्वारा प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं करवाया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

14 लघु आपत्ति विवरणिकाः– अंकेक्षण के दौरान पाई गई छोटी–2 आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटान कर दिया गया। अतः इस विवरणिका को अलग से जारी नहीं किया गया।

15 निष्कर्षः– ग्राम पंचायत समसौह के लेखाओं में व्यापक सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15 (11) 34/2017–खण्ड–1–654–657 दिनाँक 22.01.2018 शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0
3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0
पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत समसौह, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620046